न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान माईचन्द बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 31/2025
निर्णय दिनांक 07/11/25

माईचन्द पुत्र रूपाराम जाति मीणा साकिन साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति:–

1. श्री अशोक सिहाग साहवा अधिवक्ता वास्ते वादी
2. तहसीलदार तारानगर वास्ते पैरोकार राज

–::निर्णय::–

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि गांव साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 1796 के खसरा संख्या 3700/98 की 2.2539 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज है। उक्त खसराजात कृषिभूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम माहीराम पुत्र रूपाराम अंकित कर रखा है जो कि गलत है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम माईचन्द पुत्र रूपाराम है। राजस्व रिकार्ड में भिन्नता होने के कारण वादी के खातेदारी हको का हनन होता है तथा वादी को केसीसी ऋण, खाद–बीज व अनुदान आदि मिलने में भारी परेशानी हो रही है। वादी का भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य सभी पहचान दस्तावेजों में वादी का नाम माईचन्द पुत्र रूपाराम दर्ज इसलिए वादी उक्त खसरा भूमि में अपना नाम दुरूस्त करवाकर माहीराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर माईचन्द पुत्र रूपाराम करवाना चाहता है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि कृषिभूमि साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 1796 के खसरा संख्या 3700/98 की 2.2539 हैक्ट. के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी अपना नाम माहीराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर माईचन्द पुत्र रूपाराम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक पटवारी जांच रिपोर्ट के वादी का नाम माहीराम पुत्र रूपाराम व माईचन्द पुत्र रूपाराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है और माहीराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर माईचन्द पुत्र रूपाराम करने की अनुशंषा की है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। वकील वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वाद पत्र के समर्थन में वकील वादी ने वादी माईचन्द पुत्र रूपाराम का शपथ पत्र पेश किया और बयान लेखबद्ध करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य सभी पहचान दस्तावेजों में वादी का नाम माईचन्द पुत्र रूपाराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम माहीराम पुत्र रूपाराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषिभूमि साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता

संख्या 1796 के खसरा संख्या 3700/98 की 2.2539 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम माहीराम पुत्र रूपाराम **Delete** कर इसके स्थान पर वादी का नाम माईचन्द पुत्र रूपाराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/11/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)